

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।

अतिरिक्त अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० धि०

हल्द्वानी (नैनीताल)

- उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर के पूर्ण किया जाएगा। तदनुसार आदेश संख्या 310-1788/11(2)/10-17(समाप्त)/2008 दिनांक 17 फरवरी, 2010 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, नैनीताल द्वारा जारी किया गया है।
- (क) - आगमन में अतिरिक्त दस्तों का निवेदन विभाग के अधिकारी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नहीं की जा रहा है।
- (ख) - कार्य पर चर्चा हो कर किया जाये जितना की स्वीकृत लागू है, स्वीकृत नहीं हो अधिक मात्र अवधि में किया जाये। यदि प्रमाण पूर्ण हो स्वीकृत हो जा रही प्रगति में वकाल हो रही है तो उसका अग्रगामी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित दस्त/विशेषज्ञ के अनुसार ही कार्य को सम्पादित कराये समस्त प्रमाण प्रमाण सुनिश्चित करें।
- (ग) - आगमन में जिन दस्तों हो जा रही स्वीकृत हो गई है वकाल उसी गम में किया जाये, एक गम को पूर्ण हो।
- (घ) - स्वीकृत किया जाये वकाल दस्तों प्रस्तावित प्रमाणित संख्या-2008 एवं चर्चा के निमित्त में समस्त-समस्त पर विगत समस्त दिना निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट अनुपालन के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (ङ) - मुख्य अभियन्ता प्रस्तावित शासन के समस्त दस्त संख्या-2008/14-21(2008) दिनांक 30-03-2008 द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- (च) - आगमन में जिन दस्तों हो जा रही स्वीकृत हो गई है वकाल उसी गम में किया जाये, एक गम को पूर्ण हो।
- (छ) - आगमन में जिन दस्तों हो जा रही स्वीकृत हो गई है वकाल उसी गम में किया जाये, एक गम को पूर्ण हो।

कोटी प्रति प्रमाणित

प्रमाणित
मुख्य सचिव, लो० नि० धि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

संख्या- 803 / 111(2) / 14-51(प्रोआ0) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

देहरादून: दिनांक: 07 फरवरी
जनवरी, 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कुं0क्ष0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 48.50 किमी0 + 01 सेतु तथा लागत ₹ 146.065 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 146.06 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 07 कार्य हेतु ₹ 0.70 लाख (सत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयत्नित दरों/विशिष्टताओं के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2008) दिनांक 30-05-2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0पी0, भूमि अधिग्रहण, ग्रेटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखावीरक-5064 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़कें/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

फोटो प्रति प्रमाणित

Singh

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

- (ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (x)- वर्तमान में व्यय हेतु अक्मवल की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मूल में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- (xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना:न्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/भानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर गुंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 755/XXVII(2)/2013 दि०: 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भुवदीय,

(अरविन्द सिंह म्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- (1)/11(2)/14-51(प्र०आ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

Spd

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

शास. संख्या: - 803 / 111(2) / 14-51(प्रो0आ0) / 2013 दिनांक 07 फरवरी
जनवरी, 2014 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख र में) मालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्द्वीचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य।	30.00	57.00 (Land transfer paper)	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनास सेतु से तप्तग्रहवि कुण्ड व प्राकृतिक झरना तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित निर्माण कार्य।	1.00 + 36 mt	35.95 [8.01 + 27.94 उत्तरकाशी अधिप्राप्ति नियमावली से कटवाये जाने वाले कार्य]	0.10
3	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत नन्दगांव सम्पर्क मार्ग का अधिशेष कार्य।	1.00	5.85	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनास मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.340	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत घघरानी पुल से सरबडियार मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2.50	0.420	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी-गौरण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	39.25 [29.25 + 10.00 उत्तरकाशी अधिप्राप्ति नियमावली से कटवाये जाने वाले कार्य]	0.10
7	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुणगा से कुमारकोट हल्का वाहन मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	5.00	7.25	0.10
	योग:-	46.50 + 01	146.06	0.70

(कुल र अक्षर हजार मात्र)

कोटी प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

14/1/14
(महिमा)
अनु सचिव